राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology
लेसर जैव चिकित्सा अनुप्रयोग प्रभाग
Laser Biomedical Applications Division

Ref: RRCAT/LBAD/RMC/Circular/01/2023/ 56 June 05, 2023

परिपत्र / CIRCULAR

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर के अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थियों द्वारा टीएमसी में उपचार प्राप्त करना

टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी), मुम्बई और राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र (राराप्रप्रौके), इन्दौर के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके द्वारा सीएचएसएस लाभार्थी राराप्रप्रौके के चिकित्सा केन्द्र द्वारा प्रदत्त रेफ़रल लेकर अब सीधे टीएमसी, मुम्बई या भारत में टीएमसी की किसी भी इकाई में अपना इलाज करा सकते हैं। यह व्यवस्था 01 जून, 2023 से लागू की गई है।

टीएमसी, राराप्रप्रौके चिकित्सा केन्द्र (आरएमसी) द्वारा जारी वैध रेफ़रल पत्र और राराप्रप्रौके प्रशासन द्वारा जारी वैध सीएचएसएस कार्ड की प्रस्तुति पर राराप्रप्रौके के अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थियों का उपचार करेगी। रेफ़रल पत्र पर राराप्रप्रौके चिकित्सा केन्द्र के रेफ़रिंग चिकित्सक द्वारा सील और हस्ताक्षर किया जाएगा और प्रभारी, राराप्रप्रौके चिकित्सा केन्द्र, लेज़र बायोमेडिकल एप्लीकेशन डिवीज़न, राराप्रप्रौके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

यदि उपचार रेफ़रल पत्र की वैधता से अधिक लम्बा है तो लाभार्थी को मौजूदा रेफ़रल की समाप्ति से पहले राराप्रप्रौके में सक्षम अधिकारियों से वैधता विस्तार प्राप्त कर टीएमसी में प्रस्तुत करना होगा। इन–पेशेंट ट्रीटमेंट (आईपीडी) के मामले में, सक्षम प्राधिकारी से आधिकारिक ईमेल के माध्यम से टीएमसी द्वारा रेफ़रल के विस्तार को स्वीकार किया जाएगा।

टीएमसी में उपचार करा रहे राराप्रप्रौके के अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थी द्वारा पूर्ववर्ती रेफ़रल की वैधता की समाप्ति से पहले नए रेफ़रल पत्रों की समय पर प्रस्तुति/उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यदि किसी भी समय क्रेडिट सुविधा/वैधता बन्द हो जाती है तो इसे फिर से शुरू नहीं किया जाएगा और लाभार्थियों को राराप्रप्रौके से नया रेफ़रल पत्र प्राप्त करना होगा।

उपचार करने वाले टीएमसी चिकित्सकों द्वारा अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थी (टीएमसी में इलाज चल रहा है) को निर्धारित सभी दवाएँ समय–समय पर लागू प्रक्रिया के अनुसार टीएमसी द्वारा उसे उपलब्ध कराई जाएँगी। टीएमसी की डिस्पेंसरी में दवाएँ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, राराप्रप्रौके के अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थी के पास इसे कहीं और से ख़रीदने का विकल्प होगा। ऐसे मामलों में, चिकित्सा केन्द्र अधीक्षक, टीएमसी, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थी को राराप्रप्रौके से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए टीएमसी डिस्पेंसरी में दवा की अनुपलब्धता को प्रमाणित करेगा।

यदि एकल नुस्ख़े के तहत इंजेक्शन सहित दवाओं का मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक है और/या एकल प्रक्रिया की लागत 5 लाख रुपए से अधिक है, तो टीएमसी चिकित्सक के नुस्ख़े के प्रस्तुतीकरण पर राराप्रप्रौके के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष स्वीकृति जारी की जाएगी। स्वीकृति की सूचना टीएमसी को मेल

या पत्र के माध्यम से दी जाएगी। यह सलाह दी जाती कि मरीज़ों को टीएमसी में इलाज करने वाले चिकित्सकों से लागत प्रमाण–पत्र या उपचार योजना मिलने पर अग्रिम रूप से उच्च मूल्य की मंजूरी मिलनी चाहिए।

राराप्रप्रौके के किसी भी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थी के लिए कोई प्राथमिकता/अधिमान्य उपचार नहीं दिया जाएगा जब तक कि नैदानिक रूप से संकेत न दिया गया हो।

निम्नलिखित के लिए शुल्क राराप्रप्रौके द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा और डिस्चार्ज से पहले रोगियों से टीएमसी द्वारा शुल्क वसूल किया जाएगाः–

1. रोगियों द्वारा उच्च आवास की माँग,
2. रोगियों द्वारा माँगी गई अतिरिक्त सुविधा, यदि कोई हो,
3. मरीज़ों के व्यक्तिगत ख़र्च जैसे–टेलीफ़ोन शुल्क, फोटोकॉपी शुल्क आदि,
4. रोगी द्वारा सम्पत्ति को नुकसान या क्षति के लिए कोई जुर्माना या उसका परिचारक।

Availing treatment at TMC by the CHSS beneficiaries of RRCAT, Indore

An agreement between Tata Memorial Centre (TMC), Mumbai and Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (RRCAT), Indore has been signed by which the CHSS beneficiaries of RRCAT can now directly avail treatment at TMC, Mumbai or any unit of TMC within India on referral from RRCAT Medical Centre. This has come to effect from June 1, 2023.

TMC will undertake the treatment of CHSS beneficiaries of RRCAT on production of valid referral letter issued by RRCAT Medical Centre (RMC) and valid CHSS card issued by RRCAT Administration. The referral letter shall be sealed and signed by the referring doctor of RMC and countersigned by In-Charge, RRCAT Medical Centre, Laser Biomedical Applications Division, RRCAT.

The validity of the referral letter shall be one month from the date of issue.

If the treatment is prolonged beyond the validity of the referral letter, the beneficiary shall have to obtain validity extension from competent authorities at RRCAT before expiry of the existing referral and produce at TMC. In case of in-patient treatment (IPD), extension of referral shall be accepted by TMC through official email of competent authority.

Timely submission/ availability of fresh referral letters before expiry of the validity of the preceding ones shall have to be ensured by the CHSS beneficiary of RRCAT availing treatment at TMC. If at any point in time credit facility/validity gets discontinued, it will not be resumed again and beneficiaries have to obtain fresh referral letter from RRCAT.

All the medicines prescribed to the CHSS beneficiary (undergoing treatment at TMC) by the treating TMC doctors will be made available to him/ her by TMC as per the procedure in force from time to time. In the case when medicines are not available in the dispensary of TMC, the CHSS beneficiary of RRCAT will have an option to purchase it from elsewhere. In such cases, the Medical Superintendent, TMC, will certify non-availability of the medicine in TMC dispensary to enable the CHSS beneficiary to get reimbursement from RRCAT.

In case, the value of medicines including injections under single prescription is more than Rs. 1 lakh and/or single procedure is costing more than Rs. 5 lakhs, special sanction

shall be issued by competent authority of RRCAT on production of prescription of the TMC doctor by the CHSS beneficiary. The sanction shall be conveyed to TMC either through mail or through letter. It is advisable that patients should get high value sanction in advance as and when they get cost certificate or treatment plan from treating doctors in TMC.

No priority / preferential treatment will be accorded for any CHSS beneficiary of RRCAT unless it is clinically indicated.

The charges for the following will not be paid by RRCAT and shall be recovered by TMC from the patients before discharge:

i. Higher accommodation demanded by the patients,
ii. Extra facility, if any, demanded by the patients,
iii. Personal expenses of patients such as telephone charges, Photocopy charges etc.,
iv. Any penalty towards loss or damage to the property by patient or his/her attendant

एलिज़ाबेथ 05/06/2023

(एलिज़ाबेथ जे. जॅक्सन)
सहायक कार्मिक अधिकारी (चिकित्सा केन्द्र,राराप्रप्रौके)
लेसर जैव चिकित्सा अनुप्रयोग प्रभाग, राराप्रप्रौके

प्रति / To,

समस्त सूचना पट्ट / All Notice Board

मेल ऑल / Mail All

प्रभारी, चिकित्सा केन्द्र,राराप्रप्रौके / In-charge, RMC, RRCAT

प्रमुख, संगणक प्रभाग, राराप्रप्रौके / Head, Computer Division, RRCAT :

(इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को पेंशनर और कर्मचारी कॉर्नर पर राराप्रप्रौके की वेबसाइट पर अपलोड करें / With a request to upload the Circular on Pensioner's and Employee's Corner on RRCAT Website)

निदेशक कार्यालय, राराप्रप्रौके / Director's Office, RRCAT

अध्यक्ष, एसीआरएमसी एवं सदस्य / Chairman and Members of ACRMC

महासचिव, केटसा / General Secretary, CATSA

महासचिव, केटगंगा / General Secretary, CATGANGA

प्राचार्य, एईसीएस, राराप्रप्रौके / Principal, AECS, RRCAT